



तहसीलदार करेडा
जिला भीलवाड़ा

बनाम

नारायण खारोल पुत्र नैना खारोल
निवासी - धुवाला (क), तहसील करेडा,
जिला भीलवाड़ा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4)

प्र० संख्या 102/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.12.2025	<p>तहसीलदार करेडा द्वारा विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली को पंजीबद्ध करने से पूर्व परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम धुवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4050/4041 रकबा 0.5059 हैक्ट. किस्म बंजड अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से, अप्रार्थी उक्त जायदाद को खुरद बुर्द करने पर आमादा हो सकता हैं। जिससे मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को मध्येनजर रखते हुये विपक्षी को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि, ग्राम धुवाला (क) की आवंटित आराजी संख्या 4050/4041 रकबा 0.5059 हैक्ट. किस्म बंजड भूमि को रहन विकय बक्षीस नही करे व न ही करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार करेडा/ उप पंजीयक करेडा को तहरीर मय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की प्रति जारी की जावे। प्रकरण पंजीबद्ध करें। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी करें। प्रकरण तलबी हेतु दिनांक 07.01.2026 को पेश हो।</p>	
07-1-26	<p>पत्रावली पेश हुई। राजनीय पत्र उपर। विपक्षी - 01। विविध सूचना आदिपत्र। पत्रावली सुनवाई हेतु 21-1-26 को पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;">  12.12.25 अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा </p>
20-1-26	<p>माननीय राजस्व मण्डल अफसर को पत्रावली कल पत्र के तम से यह पत्रावली सि गद से तलब की गई। मान० राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार यह पत्रावली मूल ही माननीय न्यायालय को पेश की जाये। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्क से कार्यवाही की जायेगी। तब तम पत्रावली नंबर से काम करे।</p>	<p style="text-align: right;">  20.1.26 अति जिला कलक्टर </p>